सख्या-11/2025/1262/57-1099/64/2025

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

धर्मार्थ कार्य अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 27 मई, 2025**

विषयः-प्रदेश के धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण एवं विकास के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि विगत वर्षों में प्रदेश सरकार द्वारा प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों तक आवागमन को सुगम बनाये जाने हेतु धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जाता रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में लोक निर्माण विभाग के आय-व्ययक में धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण, नवनिर्माण एवं विकास हेतु एकमुश्त बजट व्यवस्था की गयी है। लोक निर्माण विभाग द्वारा धर्मार्थ कार्य विभाग की संस्तुति के आधार पर इन धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण एवं विकास का कार्य कराया जायेगा।

2- अतः शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-10/2024/850/57/2024-1111/2023 दिनांक 23.04.2024 एवं शासनादेश संख्या-I/730464/2024, दिनांक 02.09.2024 को अवक्रमित करते हुए धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण एवं विकास हेतु चिन्हांकन के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया हैः-

1. इसके अन्तर्गत उन्ही मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढीकरण एवं विकास किया जायेगा, जो पौराणिक, आध्यात्मिक, धार्मिक एवं तीर्थ पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, जहाँ भारी संख्या में वाहनों का आवागमन बढ़ गया है एवं यातायात में असुविधा हो रही है। वाहनों का सर्वेक्षण सटीक एवं तथ्यपरक होना चाहिए। इसके लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा ट्रैफिक सर्वे के आधार पर वर्तमान एवं भविष्य के 10 वर्षों का आंकलन करके प्रस्तुत किया जाना होगा।

2. इस योजनान्तर्गत ऐसे पर्यटन के महत्वपूर्ण धार्मिक सर्किट (रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, बुद्ध सर्किट, जैन सर्किट, सूफी-कबीर सर्किट) में पड़ने वाले महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों/तीर्थ स्थलों तक आवागमन हेतु वाह्य मार्ग (बाईपास) का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के अतिरिक्त नवनिर्माण का कार्य कराया जा सकेगा, जहां आबादी के अन्दर से जाने पर सड़क मार्ग संकरा होने के कारण जाम लगने अथवा यातायात बाधित होने की स्थिति उत्पन्न हो रही हों।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. प्रदेश के महत्वपूर्ण पंचकोसी, चौदह कोसी, चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग से प्रमुख धार्मिक स्थल/मुख्य मंदिर को जोड़ने के लिये भी मुख्य मन्दिर/धार्मिक स्थल तक जाने हेतु वैकल्पिक मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के अतिरिक्त नवनिर्माण का कार्य इस योजनान्तर्गत कराया जा सकेगा।

4. प्रदेश में पर्यटन विभाग द्वारा चिन्हित महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन परिपथों से सम्बन्धित धार्मिक महत्व के अतिविशिष्ट पर्यटन गन्तव्यों से सम्बन्धित मार्गों का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं विकास का कार्य कराया जा सकेगा, जहां सड़क मार्ग संकरा होने के कारण जाम लगने अथवा यातायात बाधित होने की स्थिति उत्पन्न हो रही हों।

5. इन मार्गों पर कोई विशिष्ट महत्व का धार्मिक स्थल स्थित होगा, जिसका ऐतिहासिक/पौराणिक/ आध्यात्मिक व धार्मिक महत्व होगा तथा उक्त स्थल पर प्रतिवर्ष कम से कम 05 लाख श्रद्धालु आते हों।

6. इस योजना के अन्तर्गत भूमि अर्जन/अधिग्रहण हेतु कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी।

7. इस योजनान्तर्गत चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं विकास हेतु सामान्यतः उस मार्ग का चयन किया जायेगा, जो वर्तमान में किसी भी ओर से राज्य राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा किसी मुख्य मार्ग से न जुड़ा हो। यदि उक्त मार्ग किसी ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हो, लेकिन उस मार्ग पर वाहनों की संख्या बढ़ गयी हो, तो उसके चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण पर विचार किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा किसी विशेषज्ञ एजेन्सी से वर्तमान यातायात सर्वेक्षण कराकर वाहनों की प्रतिदिन व विशेष अवसरों की संख्या/भविष्य में यातायात वृद्धि सम्बन्धी आख्या प्राप्त कर चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण की संस्तुति की जायेगी।

8. इस योजनान्तर्गत प्रमुख धार्मिक स्थलों/तीर्थ स्थलों को निकटतम राज्य राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग/मुख्य मार्ग तक जोड़े जाने हेतु चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण एवं विकास का कार्य किया जायेगा।

9. द्विरावृत्ति रोकने के दृष्टिगत इस योजना के अन्तर्गत उन्ही मार्गों का चौड़ीकरण/ सुदृढ़ीकरण एवं विकास का कार्य किया जायेगा, जो किसी अन्य योजनाओं/निधियों से आच्छादित न हो। संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा धर्मार्थ मार्गों के प्रस्ताव प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त मार्ग का चौड़ीकरण/ सुदृढ़ीकरण एवं विकास का कार्य जनपद की अन्य किसी योजना/निधियों यथा- पूर्वांचल विकास निधि, बुन्देलखण्ड विकास निधि, त्वरित आर्थिक विकास योजना, लोक निर्माण विभाग, विकास प्राधिकरणों, नगर निकायों, गन्ना विभाग, मण्डी परिषद/पंचायतों की निधियों आदि से कराया जाना सम्भव न हों।

10. उपरोक्त के दृष्टिगत जिलाधिकारी द्वारा मार्गो के धार्मिक महत्व का परीक्षण करते हुए प्रस्ताव निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय/धर्मार्थ कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन को संलग्न प्रारूप पर प्रेषित किये जायेंगे।

11. विभिन्न जनपदों से प्राप्त प्रस्तावों को अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, धर्मार्थ कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित समिति के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका स्वरूप निम्नवत् होगाः-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, धर्मार्थ कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग या उनके द्वारा नामित विशेष सचिव से अनिम्न अधिकारी।	सदस्य
3	निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ0प्र0 अथवा उनकी अनुपस्थिति में संयुक्त निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय से अनिम्न अधिकारी।	सदस्य-सचिव

12. उपरोक्त समिति द्वारा संस्तुत मार्गो को अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, धर्मार्थ कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन के अनुमोदनोपरान्त अग्रेतर कार्यवाही हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रेषित किया जायेगा। धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा संस्तुत मार्गों की कार्ययोजना बनाकर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

13. यह दिशा-निर्देश वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू होगा।

3- इस सबन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि धर्मार्थ मार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण एवं विकास हेतु उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार परीक्षण करते हुए संलग्न निर्धारित प्रारूप में आवश्यक सूचना/सामग्री सहित प्रस्ताव समयान्तर्गत उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त्

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या-11/2025/1262/57-1099/64/2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रघुवीर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-11/2025/ 1262/57-1099/64/2025, दिनांक 27.05.2025 का संलग्नक-

धर्मार्थ मार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण एवं विकास हेतु प्रस्ताव का प्रारूप-

---

1.	जनपद / विधान सभा का नाम	
2.	प्रस्तावित मार्ग का नाम (प्रारम्भ व अन्त बिन्दु सहित)	
3	यदि प्रस्तावित मार्ग का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण अपेक्षित है, तो उसका औचित्य	
4.	प्रस्तावित मार्ग से जुड़े महत्वपूर्ण धर्म स्थल का नाम व पता/ किस धार्मिक परिपथ के अन्तर्गत है?	
5.	निकटतम एन0एच0/एस0एच0 का नाम	
6.	धर्म स्थल को निकटतम मुख्य मार्ग (एन0एच0, एस0एच0 व अन्य मुख्य मार्ग) से जोड़ने हेतु मार्ग की प्रस्तावित लम्बाई व चौड़ाई	
7.	प्रस्तावित मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण एवं विकास हेतु भूमि अधिग्रहण अपेक्षित है अथवा नहीं?	
8.	वर्तमान में यह मार्ग किस विभाग द्वारा निर्मित है?	
9.	धर्म स्थल का ऐतिहासिक/पौराणिक/आध्यात्मिक एवं धार्मिक महत्व तथा उसका संक्षिप्त इतिहास।	
10.	उक्त धर्म स्थल पर प्रतिवर्ष आने वाले वाहनों की अनुमानित संख्या	
11	उक्त धर्म स्थल पर प्रतिवर्ष आने वाले श्रद्धालुओं की अनुमानित संख्या	
12.	धर्म स्थल का नवीनतम फोटोग्राफ तथा उक्त स्थल का वाहनों को प्रदर्शित करता **Drone Video View** (यथा सम्भव हार्ड कॉपी/सॉफ्ट कॉपी प्रेषित की जाये)	
13.	प्रस्तावित मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण की अनुमानित लागत	
14.	प्रस्तावित मार्ग का जनपद की अन्य योजना/निधि से निर्माण सम्भव न होने का कारण।	
15.	अन्य कोई बिन्दु, जिसका उल्लेख किया जाना अपेक्षित हो, का विवरण।	

जिलाधिकारी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।